सं0 एवी -21012/58/2016-एलएम 10 अप्रैल, 2017

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
उत्तरी क्षेत्र/द क्षणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

वमानपत्तन निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
चेन्नई/कोलकाता हवाई अड्डा

प्रधानाचार्य,
नागर वमानन प्र शक्षण महा वद्यालय,
बमरौली, इलाहाबाद (उ.प्र.)

वषय: भा. व.प्रा. हवाई अड्डों पर दिनांक 01.04.2017 से भू म प ा कराये की आधार दरों/लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन ।

महोदय,

भा वप्रा बोर्ड ने दिनांक 17.1.0.2014 को आयोजित अपनी 162 वीं बोर्ड मीटिंग में निर्णय लया था क 01.10.2014 से 31.03.2017 तक की अव ध के लए 7.5% की दर से वा र्षक संचयी वृ द्ध के साथ भा वप्रा भू म पर वा र्षक भू म लीज़ कराया लया जाएगा । इसके साथ यह प्रावधान भी होगा क दिनांक 01.04.2017 से भू म लीज़ कराए की आधार दर में अगला संशोधन कया जाएगा ।

2. लीज कराये में की प्र क्रया जारी है, भा वप्रा बोर्ड द्वारा इसे अंतिम रूप देने तक, सक्षम प्रा धकारी ने निर्णय लया है क 01.04.2017 से भू म लीज़ कराया 31.03.2017 को लागू पूर्ववर्ती दरों पर ही लया जाएगा और इन दरों को एक वर्ष की अव ध या भा वप्रा बोर्ड द्वारा संशो धत दरों के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो,बढ़ाया नहीं जाएगा ।

3. उन हवाई अड्डों के संबंध में जहां मौजूदा दरें पहले से ही अनुमोदित दरों से अ धक हैं, मौजूदा दर में कोई वृ द्ध नहीं की जाएगी और मौजूदा दर के अनुमोदित दर तक पहुंचने तक उन्हें फ्रीज़ करने का फैसला कया गया है।

4. हालां क, इस संबंध में भा वप्रा बोर्ड के निर्णय की सूचना शीघ्र दे दी जाएगी और यह सभी एजें सयों के लए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

5. अनुरोध है क आप अपने नियंत्रणाधीन सभी वमानपत्तन निदेशकों/प्रभारियों को इसकी सूचना दें तथा तदनुसार भू म कराये के बिल बनाए जाएं । यह सक्षम प्रा धकारी के अनुमोदन से जारी कया गया ।

धन्यवाद

भवदीय

(पी. एस. आर. के. सुधाकर)
कार्यपालक निदेशक(भू म प्रबंधन)

प्रति:

1. अध्यक्ष महोदय के वशेष कार्य अ धकारी
2. सदस्य (योजना/वत्त/मा. स. /प्रचालन/एएनएस) के उप महाप्रबंधक (नि.स.)
3. महाप्रबंधक(भू म प्रबंधन)-I/II/III/ऑ फस फाइल